"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2003—भाद्र 7, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2003

क्रमांक ई 1-5/2003/1/2.—श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से. (1992), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा एवं संस्कृति विभाग का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 2-35/2003/1-8/स्था.—श्री सी. के. देवाणी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उन्हीं हैसियत से ऊर्जा विभाग

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2003

में पदस्थ किया जाता है.

2. श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उसी हैसियत से आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. इस विभाग के आदेश क्रमांक 2-8/2003/1-8, दिनांक 8 मई, 2003 द्वारा श्रीमती अमृता बेक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को उसी हैसियत से आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग में पदस्थ किया गया है, उक्त आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 2-35/2003/1-8/स्था.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-7-2003 द्वारा श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को उसी हैसियत से आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-7-2003 द्वारा श्री सी. के. देवाणी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को उसी हैसियत से ऊर्जा विभाग में पदस्थ किया गया है, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री देवाणी को अवर सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 661/2003/1-8/स्था.—श्री जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव, वन विभाग को दिनांक 14-7-2003 से 18-7-2003 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 जुलाई, 2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने मर श्री जयसिंह म्हस्के को उप-सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयसिंह म्हस्के, अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक 663/2003/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 23-6-2003 से 30-6-2003 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय को अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक 665/2003/1-8/स्था.—श्री विनोद कुमार राय, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 23-6-2003 से 18-7-2003 तक 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 जुलाई, 2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार राय को अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक 1823/1539/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री विकास शील, कलेक्टर, कोरिया को दिनांक 18-8-2003 से 30-8-2003 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17 एवं 31-8-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री शील को अवकाश से लौटने पर कलेक्टर, कोरिया के पद पर पुनः अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री शील यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. श्री शील के अवकाश अवधि में कलेक्टर, कोरिया का चालू कार्य श्री एस. के. राजू, कलेक्टर, सरगुजा (छ. ग.) अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

5. श्री शील को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक 1825/1540/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्रीमती निधि छिब्बर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया को दिनांक 18-8-2003 से 30-8-2003 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17 एवं 31-8-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्रीमती छिब्बर को अवकाश से लौटने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया के पद पर पुनः अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती छिब्बर यदि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहती.

4. श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. श्रीमती छिब्बर के अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया का चालू प्रभार श्री ए. एल. टोप्पो, अपर कलेक्टर, कोरिया अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2003

क्रमांक 705/2003/1-8/स्था.—श्री टी. आर. नागेन्द्र, वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, अनु. जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 23-6-2003 से 28-6-2003 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. आर. नागेन्द्र, वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, अनु. जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. आर. नागेन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, अनु. जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2003

क्रमांक 707/2003/1-8/स्था.—श्री संजीव बख्शी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 14-7-2003 से 28-7-2003 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजीव बख्शी, को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव बख्शी अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2003

क्रमांक 657/2003/1-8/स्था.—श्री एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10-7-2003 से 18-7-2003 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 जुलाई, 2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मंधानी को वि. क. अ., सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. मंधानी, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. भट्टर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2003

क्रमांक 439/राजस्व/2003.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2), 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलह, सत्रह तथा अठारह के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम (2) तथा (3) में उल्लिखित तथा वर्णित जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के नगर दंतेवाड़ा, गीदम, बड़े बचेली के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारिणी के कालम 4, 5, 6 तथा 7 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित "कर" निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर की ऐसी भूमि पर "कर" निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	समूह क्रमांक	नगर का नाम	निम्नलिखित प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें (रुपयों में)		प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें (रुपयों में)	
			निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	दंतेवाड़ा	1.20	1.50	1.50	1.80
	2	दंतेवाड़ा	0.60	0.90	0.90	1.20
2.	1	गीदम	2.00	3.00	2.00	3.00
	2	गीदम	1.20	1.80	1.20	1.80
3.	1	बड़े बचेली	0.60	0.90	0.60	0.90

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 5-11/खाद्य/2001/29.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 4218/1721/21-ब/छ. ग./03, दिनांक 2 जुलाई, 2003 जिसके द्वारा श्री सन्मान सिंह (उच्च न्यायिक सेवा) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, रायपुर की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सौंपी गई है, के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सन्मान सिंह (उच्च न्यायिक सेवा) को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के रजिस्ट्रार के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 12-1/खाद्य/2001/29.—छत्तीसगढ़ फुड स्टफ्स (डिस्ट्रीब्यूसन) कंट्रोल आर्डर, 1960 के खण्ड-4 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति स्कीम-2001 की कण्डिका-14 के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु नियत अधिकारी अर्थात् जिला मुख्यालय पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी एवं अनुविभाग स्तर पर, सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा की गई किसी कार्यवाही से व्यथित, व्यक्ति द्वारा 30 दिन के भीतर राज्य शासन को अपील की जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्र. 5163/फा. क्र. 3 (ए)5/2003/21-ब.—राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2003 में अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री बी. के. श्रीवास्तव रजिस्टार जनरल, छ. ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर.	15-12-1943	31-12-2003

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शकुंतला दास, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2003

क्रमांक 1370/1202/03/वा.उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि. चांपा के बायलर क्रमांक सी. जी./34 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 8-6-2003 से दिनांक 7-12-2003 तक के लिए 6 माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्प यंत्र, छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम कि धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छ. ग. के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण अधिनियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2003

क्रमांक 1226/848/03/(6)11/वा.उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एन.टी.पी.सी.लि.) के बायलर क्र. एम.पी./3542 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 14-5-200. से दिनांक 30-6-2003 तक के लिये 48 दिन की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्प यंत्र, छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी

(2) उक्त अधिनियम कि धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छ. ग. के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2003

क्रमांक 1227/840/03/11/वा.उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. भिलाई इस्पात संयंत्र (पावर प्लांट-2) भिलाई के बायलर क्र. एम.पी./3519 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26-4-2003 से दिनांक 25-9-2003 तक के लिये 5 माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्प यंत्र, छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम कि धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छ. ग. के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-120/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "जी. एच. रॉयसोनी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "जी. एच रॉयसोनी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 6th August 2003

No. F-73-120/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "G. H. RAISONI INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "G. H. RAISONI INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-111/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "व्हीएनजी यूनिवर्सिटी बिलासपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "व्हीएनजी यूनिवर्सिटी बिलासपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 14th August 2003

No. F-73-111/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "VNG UNIVERSITY BILASPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "VNG UNIVERSITY BILASPUR " to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73/97/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग टेक्नालॉजी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग टेक्नालॉजी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 23rd August 2003

No. F-73-97/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "JAWAHAR LAL NEHRU UNIVERSITY OF EMERGING TECHNOLOGY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "JAWAHAR LAL NEHRU UNIVERSITY OF EMERGING TECHNOLOGY, RAIPUR " to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-138/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "न्यू ऐज इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "न्यू ऐज इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 27th August 2003

No. F-73-138/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "NEW AGE INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "NEW AGE INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR " to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1105/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	मटेवा	10.71	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	मटेवा डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1106/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	माहुद	9.03	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	मटेवा डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1107/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को ईस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	बघेली	11.96	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	बघेली माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक 1109/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	बघेली	25.21	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	बघेली जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक 1110/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	खुरसुनी	1.11	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन, दुर्ग (छ. ग.).	बघेली जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1103/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	मोंहदीपाट	4.90	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	बघेली माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1104/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	गब्दी	1.55	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	गब्दी माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 1123/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	कसही	2.05	कार्यपालम यंत्री, तांदुला जल संसाधन, संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	कसही जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अगस्त 2003

क्रमांक 567/प्रा. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	बोरसी प. ह. नं. 39	3.36	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	हरदी-भिभौंरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अगस्त 2003

क्रमांक 568/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	हरदी	60.33	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	हरदी भिभौंरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अति. सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक 1775/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	नेउरगंज	21.709	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, अम्बिकापुर.	अत्रपारा जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक 1777/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	अत्रपारा	17.674	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, अम्बिकापुर.	अत्रपारा जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

सरगुजा, दिनांक 16 जून 2003

रा. प्र. क्र./27/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लोसंगा	6.720	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	लोसंगा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 जून 2003

रा. प्र. क्र./28/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कंठी	0.260	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, अम्बिकापुर.	बांकी परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जून 2003

रा. प्र. क्र./29/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (आरे में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सकालो	1.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	सकालो जलाशय योजना के उप नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 जून 2003

रा. प्र. क्र./30/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सायर	2.058	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	सायर जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2003

रा. प्र. क्र./01/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	भेड़िया	2.10	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग, प्रतापपुर.	भेड़िया जलाशय योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जून 2003

रा. प्र. क्र./25/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सलका	0.699	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम परियोजना के बायां तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 16 जून 2003

रा. प्र. क्र./26/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सिरकोतंगा	0.356	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम परियोजना के बायां तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1224.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सकरेली प. ह. नं. 14	0.032	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	सकरेली डि. म्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जु[illegible] 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1225.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इ[illegible] [illegible]लग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्य[illegible] है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 19[illegible] [illegible] धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, [illegible] द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई श[illegible]यों का प्र[illegible] करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा [illegible] की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्रा[illegible]कृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सकरेली प. ह. नं. 14	0.275	कार्यपाल[illegible] [illegible]त्री, मिनीमाता बांगो नहर संभा[illegible] क्र. 6, सक्ती	सकरेली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के का[illegible] में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 अ[illegible] 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/5—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संल[illegible] अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की [illegible] (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनु[illegible] [illegible] खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधि[illegible] करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा [illegible] की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्रा[illegible]कृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	जांजगीर प. ह. नं. 41	0.032	कार्यपा[illegible] [illegible]त्री, लोक निर्माण विभाग [illegible], चांपा संभाग, चांपा	जांजगीर-चांपा बाइ पास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 137/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पुरेना प. ह. नं. 10	5.250	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 138/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	जामझोर प. ह. नं. 6	4.744	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 139/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बाम्हनपाली प. ह. नं. 11	8.133	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 140/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	रानीसागर प. ह. नं. 13	6.808	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 141/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुरु प. ह. नं. 2	0.353	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि. सेतु निर्माण, बिलासपुर.	वृन्दावन रिलो कुरु मार्ग के कि.मी. 4/6-8 पर मांड सेतु पहुंचमार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 142/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बरभौना प. ह. नं. 5	0.441	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि. सेतु निर्माण, बिलासपुर.	एडू नहरपाली मार्ग के कि.मी. 3/4 पर कुरकुट सेतु पहुंचमार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 143/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बेंदोझरिया प. ह. नं. 15	0.202	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि. सेतु निर्माण, बिलासपुर.	चपते कुकरी झरिया मार्ग के कि.मी. 1/10 पर बंदोझरिया सेतु पहुंचमार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 144/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	चपले प. ह. नं. 15	0.582	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि. सेतु निर्माण, बिलासपुर.	चपते कुकरी झरिया मार्ग के कि.मी. 1/10 पर बेंदोझरिया सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 145/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बगडेवा प. ह. नं. 9	2.594	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अगस्त 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 146/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1896 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बसनाझर प. ह. नं. 13	9.248	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2003

क्रमांक /क./भ.वि.अ./खानक/2003/529/रा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	गुनापुर	42.75	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	भरत सागर जलाशय का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2003

क्रमांक 1074/ले. पा./03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमाक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम- केवटनवागांव, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.51 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1083	0.06
1122/2	0.10
1122/3	0.11
1121	0.38
1120	0.14
1119	0.14
1117	0.58
योग	1.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना के मनकी लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2003

क्रमांक 1074/ले. पा./03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कठिया, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
69	0.22
416/1	0.20
481/1	0.07
499/6	0.08
155	0.01
343/1	0.19
343/3	0.13
113	0.12
459/1	0.15
401/1	0.01
594	0.17
567	0.46
322	0.12
514	0.01
333/1	0.10
335	0.19
412	0.26
63	0.06
152	0.01
297/1	0.22
114/1	0.20
387/2	0.14
414/1	0.07
414/3	0.02
676/3	0.02
676/1	0.13
181/1	0.15
326	0.14
544	0.02
327/1	0.22
14/1	0.16
16/1	0.09
338	0.43
417	0.04
294	0.26
343/2	0.32
482/2	0.10
477/2	0.32
402/2	0.01
482/1	0.06
328	0.04
153	0.15
337	0.36
384	0.08
562/3	0.20
265	0.15
297/2	0.10
510	0.23
390	0.08
410	0.24
406	0.10
588/2	0.36
407	0.37
464	0.30
477/1	0.21
561/2	0.01
295	0.24
489/1	0.11
486	0.12
334	0.09
408	0.27
416/2	0.10
485/3	0.11

(1)	(2)
12/2	0.19
559/2	0.22
415	0.22
485/2	0.12
543	0.17
545	0.18
182	0.22
385	0.28
296/2	0.23
558	0.33
293	0.24
520/1	0.48
339	0.15
181/2	0.12
14/2	0.10
327/2	0.09
16/2	0.12
67	0.17
405/1	0.01
123	0.36
387/1	0.14
386	0.01
180/1	0.11
180/4	0.01
598	0.18
13	0.01
15	0.10
490	0.10
419	0.09
465	0.02
459/2	0.15
292	0.01
512	0.09
513	0.20
515/1	0.22
154	0.20
509	0.33
559/1	0.22
559/3	0.45
12/3	0.01
480	0.31
62	0.10
323	0.49
180/3	0.24
562/4	0.15
115	0.20
595	0.20
466/1	0.15
1	0.08
9	0.16
5	0.21
4	0.14
84	0.08
योग	18.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना के कठिया लघु नहर क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2003

क्रमांक 1074/ले. पा./03— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम मनकी, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/2	0.11
6	0.13
14	0.25
28	0.36
25	0.05
24	0.08
23	0.06
34	0.10
35	0.05
36/1	0.11
42	0.21
41	0.26
63	0.56
66/2	0.17
66/1	0.03
67	0.15
79	0.11
77	0.02
78	0.10
76	0.39
93	0.11
27	0.01
योग	3.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी पाट परियोजना के मनकी लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2003

क्रमांक 1074/ले. पा./03—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला दुर्ग
- (ख) तहसील डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम भालूकोन्हा, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 1.33 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
768/1	0.09
769/1	0.01
930/1	0.10
931	0.26
1035	0.15
1048	0.17
1049/2	0.24
1049/1	0.09
1052	0.02
1053	0.20
योग	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है खरखरा मोंहदी पाट परियोजना के कठिया लघु नहर क्रमांक 1 एवं 3 के निर्माण हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 517/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-सोमईखुर्द, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
536	0.09
534/1	0.08
482/1	0.01
1000	0.01
670	0.04
योग	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय के सोमईखुर्द माइनर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 512/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-बरगडा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53	0.01
79	0.22
योग	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय के मुख्य नहर निर्माण में अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेपंडरमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
365/1	0.008

(1)	(2)
374/4	0.049
372	0.049
374/2	0.024
396	0.053
397	0.093
713	0.012
714/1, 714/2	0.085
715	0.008
649/2	0.020
677/2	0.012
717	0.069
718, 720	0.041
725/1	0.137
524/3	0.012
725/2	0.008
726/1	0.036
729/3	0.016
729/5	0.004
731	0.113
647	0.081
643	0.097
640/2	0.041
640/5	0.028
730/1	0.028
728	0.012
योग 26	1.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटेपंडरमुड़ा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेपंडरमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.272 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170/1	0.032
170/2	0.154
174	0.057
188	0.081
186/2	0.129
187/2	0.231
175/2	0.004
187/1	0.251
186/3	0.073
377/2	0.146
380	0.109
383/1	0.142
186/4	0.607
189/1	0.154
189/2	0.020
189/3	0.020
189/4	0.040
190	0.364
192	0.113
193	0.125
191	0.202
194/2	0.202
195	0.105
198/2	0.121
201	0.182
374/2	0.162
374/5	0.243
374/6	0.219
199/1	0.247
200	0.202
199/2	0.150
199/3	0.097

(1)	(2)
376/2	0.049
374/3	0.283
375	0.093
376/3	0.121
377/1	0.401
381	0.049
382	0.061
383/2	0.049
392	0.182
योग 41	6.272

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटेपंडरमुड़ा जलाशय (डूबान) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोटमार, प.ह.नं. 18, सियारपाली, प.ह.नं. 19, महुआपाली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-62.253 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम-कोटमार	
288/5	1.214
288/6	0.809
288/7	0.607
301	1.003
237	0.700
239	0.809
291/5	0.445
297	0.466
298	0.198
299	0.206
304	1.384
288/8	1.214
303/1	0.125
303/2	0.134
303/3	0.150
306/1	0.051
330/2	0.024
330/3	0.073
330/12	0.049
330/14	0.008
330/18	0.037
330/27	0.049
335	0.713
238	0.498
242/1	0.157
242/2	0.065
242/3	0.446
242/4	0.065
242/5	0.157
295	0.656
306/2	0.050
309/1	0.312
309/2	0.316
313/1	0.267
315/1	0.245
315/2	0.245
325	0.308
329	0.437
332	0.670
337	1.513
311	0.154
320	0.902
योग 42	17.931

(1)	(2)
ग्राम-सियारपाली	
147/2	0.405
149/1	0.890
149/2	0.219
150	0.413
148	0.934
योग 5	2.861
ग्राम-महुआपाली	
14/1	0.056
14/4	0.053
14/5	0.053
16/2	0.077
27/8	0.809
65	0.987
67	2.954
68/1	0.874
68/2	3.237
69/1	0.287
69/2	0.097
69/4	0.097
70/1	1.076
70/2	0.543
73	0.656
74/1	0.336
74/2	0.336
74/3	0.340
74/4	0.344
74/5	0.336
77/1	0.336
78	0.486
79/1	0.202
79/3	0.101
79/4	0.805
2/1	0.433
1	0.445
2/2	1.011
2/3 अ	0.505

(1)	(2)
2/3 ब	0.506
2/4	0.809
2/5	1.214
2/6	0.809
2/7	1.011
2/8	0.607
2/9	0.809
2/10	1.011
3	0.251
4	1.384
6/1	0.647
6/2	0.646
6/3	0.646
7	0.757
8/1	0.125
8/2	0.128
8/3	0.085
8/4	0.127
9	0.154
11	0.591
13/1	0.089
13/2	0.085
13/3	0.085
13/4	0.085
20	1.829
21	1.117
22	0.219
23/1	0.020
23/2	0.040
23/3	0.040
23/4	0.012
23/5	0.016
25/1	0.065
25/2	0.081
25/3	0.162
26/1	0.068
26/2	0.067
26/3	0.067
26/4	0.045
27/2	1.214
27/3	0.405
27/4	0.809

(1)	(2)
27/5	0.809
27/6	0.809
27/7	0.405
27/9	0.405
43/1	0.024
43/2	0.097
43/3	0.154
66	1.023
71	0.817
योग 80	41.461
महायोग	62.253

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन मे. इण्ड एग्रो सिनर्जी लि. नागपुर के स्पंज आयरन प्लांट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पतरापाली, खैरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम-पतरापाली	
52/27	0.198
52/28	0.138
69	0.020
76/1	0.117
80/1	0.069
80/3	0.049
87/1	0.142
87/2	0.146
87/3	0.146
87/4	0.142
91/1	0.102
91/2	0.048
91/2	0.049
103/1	0.032
103/3	0.053
103/4	0.040
103/5	0.109
103/6	0.051
103/7	0.109
109	0.162
119/8	0.234
119/7	0.118
126	0.202
136/1	0.214
140	0.105
145/1	0.040
150/1	0.198
153	0.360
194	0.265
203	0.101
205/1	0.097
205/3	0.121
205/4	0.125
205/5	0.061
205/6	0.041
205/7	0.097
205/8	0.097
205/10	0.057
205/11	0.101
205/12	0.061
205/15	0.073
205/16	0.065
205/17	0.121

(1)	(2)
206	0.445
209/1	0.053
209/2	0.049
209/3	0.049
209/4	0.049
205/18	0.150
209/5	0.049
211	0.214
215	0.085
218	0.109
226	0.239
228	0.255
235	0.283
236/2	0.121
237/1	0.283
238	0.672
239/1	0.142
239/2	0.032
239/3	0.032
239/4	0134
239/5	0.134
239/6	0.162
262/7	0.142
243/1	0.101
257/3	0.040
257/1	0.283
261/2	0.073
262/2	0.073
262/1	0.085
262/3	0.186
262/4	0.081
262/5	0.154
262/6	0.142
263	0.429
268	0.308
269/1	0.113
269/2	0.113
270/1	0.081
270/2	0.069
270/3	0.085
271	0.125
273/1	0.247
273/2	0.247
273/3	0.458
273/4	0.308
275	0.344
277/2	0.138
280/1	0.275
280/2	0.312
281	0.247
285	0.170
290/1	0.129
290/2	0.065
292	0.138
295	0.040
296/1	0.243
296/2	0.040
296/3	0.150
296/4	0.150
297	0.113
299/1	0.020
298/2	0.129
258/3	0.081
258/4	0.036
290/2	0.064
188	0.032
योग 109	15.476

ग्राम-खैरपुर

(1)	(2)
2/3	0.405
17/1	0.121
17/5	0.210
39/1	0.174
43/1	0.097
49/4	0.405
54/2	0.324
57	1.108
65	0.182
92	0.316
103	0.809
108/1	0.121
108/8	0.521
108/10	0.660

(1)	(2)
108/14	0.128
108/21	0.117
108/22	0.174
108/23	0.304
124/1	0.105
124/3	0.105
127	0.380
184	0.065
187/1	0.267
187/1	0.062
192	0.336
206	0.166
209/1	0.146
229	0.263
231/5	0.809
197	0.198
245/1	0.040
250/1	0.121
252	0.210
253	0.138
261	0.113
262/2	0.008
263	0.121
265	0.273
266	0.134
योग 39	10.036
महायोग	25.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

क्रमांक 43/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सकोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.935 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
707	0.089
695/2	0.003
814/1	0.073
812/3	0.057
221/3	0.073
221/5	0.073
723	0.101
221/4	0.073
760	0.142
714	0.077
718/2	0.024
722/3	0.024
718/4	0.024
814/2	0.020
788/2	0.049
724/2	0.073
726	0.097

(1)	(2)
712	0.073
701	0.049
761	0.020
724/5	0.032
222/1	0.053
725/1	0.073
725/2	0.032
695/1	0.045
702/2	0.032
815	0.032
816	0.008
708	0.040
700	0.065
812/2	0.081
222/2	0.049
718/3	0.024
702/1	0.032
788/3	0.049
695/6	0.045
695/5	0.024
योग 37	1.935

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2003.

प्र. क्र. 04/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-ढोलगी प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.356 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/7	3.267
8	0.089
योग 2	3.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के लिये.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2003

क्रमांक 46/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-परसवारा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/1	0.040
84/2	0.040
9/2	0.040
2	0.080
85	0.202
89/1	0.081
90/1	0.048
91/1	0.028

(1)	(2)
91/2, 91/3	0.032
92/1	0.032
101/1	0.182
109/1	0.421
93/2	0.121
97	0.032
96/1	1.214
96/3	1.214
96/5	1.113
96/6	1.113
96/10	1.218
96/9	0.809
98	0.469
99/2	0.109
100/1	0.243
105	0.166
100/2	0.142
100/3	0.040
104/1	0.129
106/2	0.405
104/2	0.073
104/3	0.202
104/4	0.004
106/1	0.048
107/1	0.061
108	0.113
109/2	0.170
110	0.251
111	0.081
1C7/2	0.048
113	0.291
9/1	0.121
योग	11.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के लिये.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2003

प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम--धनौली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल--0.272 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	166	0.049
	167	0.223
योग	2	0.272

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुदरी जलाशय फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-आमाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.302 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4189/1	0.057
490/2	0.202
461	0.057
463/2	0.024
500	0.020
463/3	0.028
469/4	0.024
498	0.401
499/2	0.117
489/5	0.045
499/2	0.113
463/1	0.028
489/2	0.081
472/2	0.061
469/1	0.024
462	0.020
योग 16	1.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय बांध के नीचे वृक्षारोपण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम--सकोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195	0.105
योग 1	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के विय़र निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 5/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गिरारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.588 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/2	0.397

(1)	(2)
72/2	0.049
73	0.077
74	0.429
48/2	0.219
49	0.069
51	0.470
26/1	0.348
26/2	0.166
50/1	0.364
योग	2.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 6/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-झाबर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
464/2	0.032
446	0.032
447	0.028
योग 3	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय के बांध पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 54/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27/2	0.109
24	0.117
योग 2	0.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनियां जलाशय की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2003

क्रमांक 56/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-धनौली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.348 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
462/1	0.158
463	0.117
494/2, 498/1, 499/1, 500/1 501/1, 502/1	0.073
योग 3	0.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनियां जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2003

क्रमांक 57/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोरजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88/1	0.141
128/1	0.117
135/1	0.081
840/1, 844/1	0.068
795/2, 796/4	0.129
306/2	0.052
306/1	0.052
304/6	0.061
281/2	0.068
132/3	0.093
योग 10	0.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनियां जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.